प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालय, केंद्रीय माल एवं सेवाकर, दिल्ली क्षेत्र
केंद्रीय राजस्व भवन, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110109

फा. सं.-हि./23/जीएसटी/आ./अनु./मु.आ.का./2017/218 to 225 दिनांक: 23.12.2021

सेवा में,

प्रधान आयुक्त/आयुक्त
केंद्रीय माल एवं सेवाकर,
दिल्ली- उत्तर/पूर्व/दक्षिण/पश्चिम/लेखा परीक्षा-1
लेखा परीक्षा-2/अपील-1 एवं अपील-2

महोदय/महोदया,

विषय:- राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित करना।

उपर्युक्त विषय पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा जारी पत्र फा. सं. 30020/2/2016-एडी (हिंदी-4) दिनांकित 19 फरवरी, 2016 को जारी कार्यालय ज्ञापन के अंतर्गत राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन समय-समय पर सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। अनुपालन हेतु बिन्दु निम्नानुसार है-

1. केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि असाधारण दशाओं को छोड़कर हिंदी में होंगे और यदि उनमें से किसी को कोई पत्रादि अँग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा।

2. केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'ख' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो) को पत्रादि अँग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा । लेकिन किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को पत्रादि हिंदी या अँग्रेजी में भेजे जा सकते हैं।

का/प.

3. परन्तु यदि कोई ऐसा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र यह चाहता है की किसी विशिष्ट वर्ग या प्रवर्ग के पत्रादि या उनके किसी कार्यालय के लिए आवश्यक पत्रादि या संबंध राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक अँग्रेजी या हिंदी में भेजे जाए और उसके साथ दूसरी भाषा में उनका अनुवाद भी भेजा जाये तो ऐसे पत्रादि उसी रीति से भेजें जाएंगे।
4. केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'ग' मे किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय हो) या व्यक्ति को पत्रादि अँग्रेजी में होंगे।

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले कागजातों की सूची इस पत्र के साथ संलग्न है।

अत: केंद्रीय माल एवं सेवाकर, दिल्ली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त आयुक्तालयों से अनुरोध है कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात द्विभाषी रूप में जारी किए जाये।

संलग्नक- यथोपरि

23/12/21

(अर्चना मिश्रा)

राजभाषा अधिकारी